संख्या-20/2018/702/46-1-18-02(श.वि.नि.)/2016टी.सी.

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी एवं गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2018

विषयः- गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का पुर्नावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-201/13(2)/श.वि.नि./व्यवस्था/2017-18, दिनांक 26 मार्च, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-7/2018/150/46-1-18-02(श.वि.नि.)/2016, दिनांक 09 मार्च, 2018 के संलग्नक-4 में स्वीकृति धनराशि के आर्वती मद संख्या-7 में उपलब्ध धनराशि रू. 1,75,200 में से मद संख्या-5 में रू. 1,29,360 तथा मद संख्या-1 में लिफ्ट की नवम्बर, 2017 से ए.एम.सी. न होने के कारण उपलब्ध धनराशि रू. 4,32,800 में से आर्वती मद संख्या-12 हेतु रू. 2,03,000 का पुर्नवांटन किये जाने का अनुरोध किया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 2018 के संलग्नक-4 में स्वीकृति धनराशि के आर्वती मद संख्या-7 में उपलब्ध धनराशि रू. 1,75,200 में से मद संख्या-5 में रू. 1,29,360 तथा मद संख्या-1 में लिफ्ट की नवम्बर, 2017 से ए.एम.सी. न होने के कारण उपलब्ध धनराशि रू. 4,32,800 में से आर्वती मद संख्या-12 हेतु रू. 2,03,000 का पुर्नवांटन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त् संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.3.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2018/702(1)/46-1-18-02(श.वि.नि.)/2016टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5- निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
6- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।